परिवहन विभाग (मुख्यालय स्तर)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिवहन विभाग का गठन वर्ष 1945 में किया गया था। यह विभाग टेहरी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

कार्य दिवसः– सोमवार से शुक्रवार (अवकाश दिवस को छोड़कर)

कार्यालय समयः– 9:30 बजे से 6:00 बजे तक।

परिवहन विभाग की वेबसाइट–http://uptransport.upsdc.gov.in

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत परिवहन विभाग से सम्बन्धित 16 सूचनाओं की श्रेणियों के सम्बन्ध में विवरणः–

बिन्दु–(i) लोक प्राधिकरण की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य।

1. केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 का क्रियान्वयन।
2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 का क्रियान्वयन।
3. उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 का क्रियान्वयन।
4. परिवहन विभाग के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।
5. व्यवसायिक वाहनों के ऑल इण्डिया एवं ऑल यू0पी0 परमिट सम्बन्धी कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।
6. समस्त प्रदूषण जॉच केन्द्रों एवं सरकारी गैराजों को मान्यता प्रदान करने का कार्य।
7. ई–चालान पोर्टल, वाहन पोर्टल एवं सारथी पोर्टल के स्टेट एडमिन से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन।
8. परिवहन विभाग के कार्यों के डिजिटलाइजेशन हेतु कम्प्यूटर सेल का गठन।
9. सार्वजनिक सेवा यानों से दुर्घटना की स्थिति में मृतक/घायलों के वारिसानों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता प्रदान करना।
10. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया है।

बिन्दु– (ii) परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य।

कार्यालय आदेश संख्या– 270ई/95–98ई/66–95, दिनांक– 09.06.1995 द्वारा कार्यालय परिवहन आयुक्त संगठन में तैनात अधिकारियों की कर्तव्य/शक्तियों का निर्धारण किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनुभाग से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

बिन्दु– (iii) विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

विनिश्चय करने की प्रकिया में विभाग की संरचनात्मक स्थिति जिनके द्वारा उत्तरदायित्व परक पर्यवेक्षण सन्निहित है–

परिवहन विभाग की संरचना

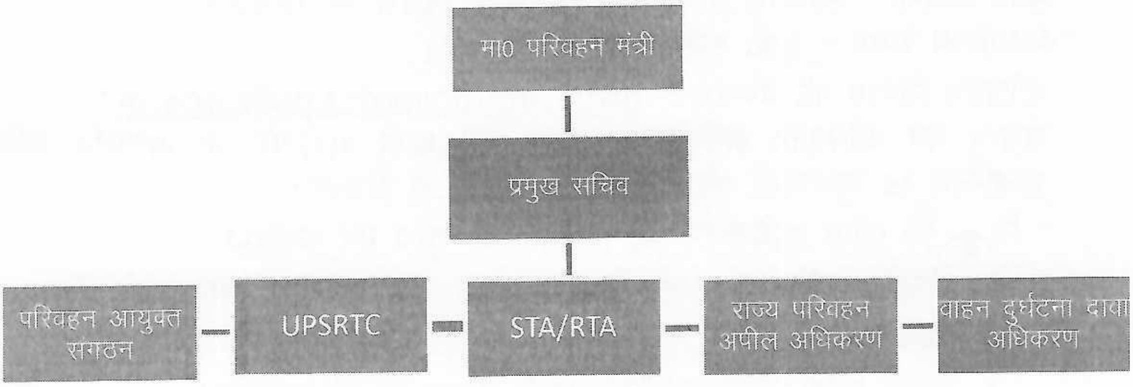

परिवहन आयुक्त संगठन की संरचना

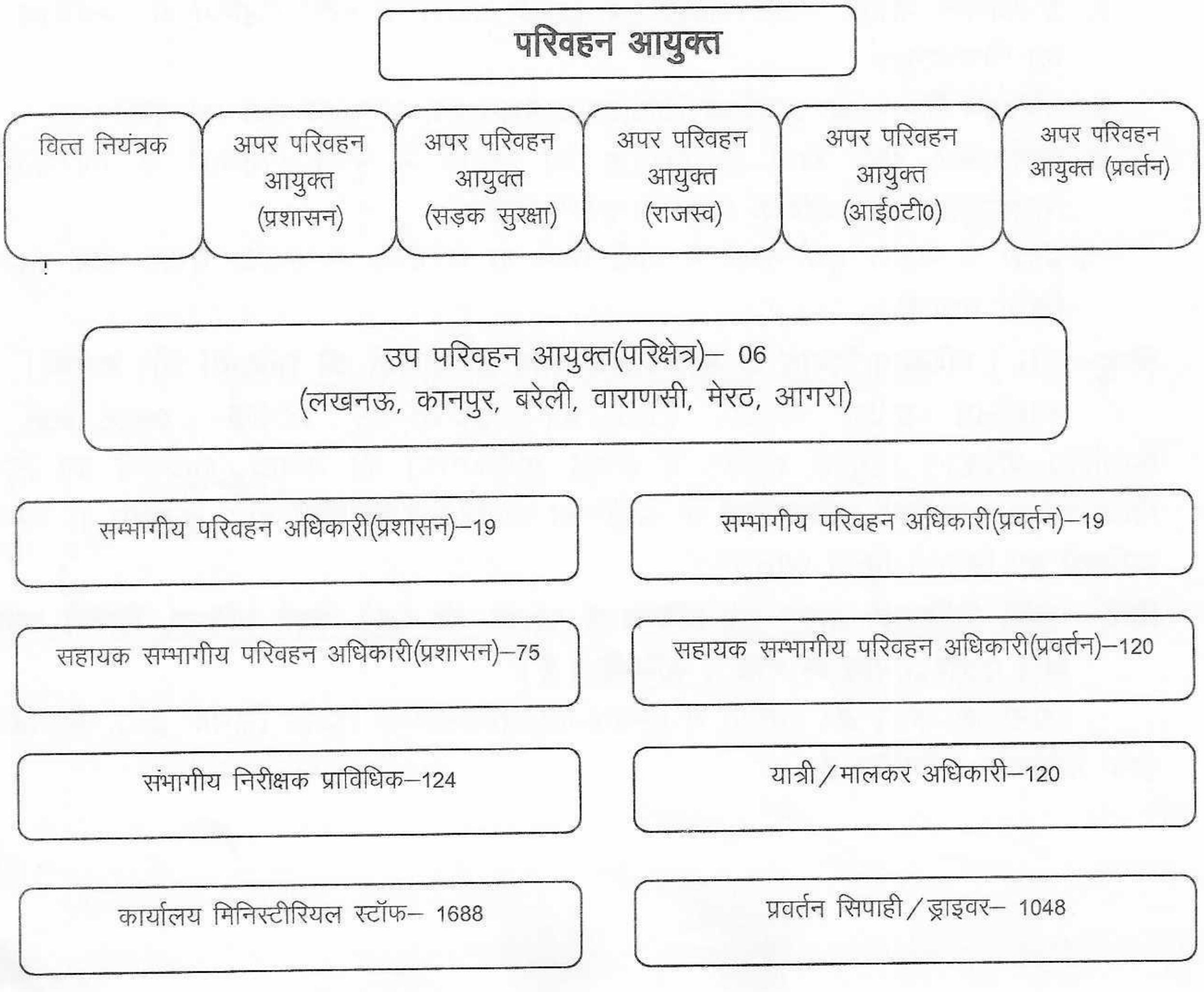

बिन्दु– (iv) अपने कृत्यों के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान।

कार्यालय आदेश संख्या– 270ई/95–98ई/66–95, दिनांक– 09.06.1995 द्वारा कार्यालय परिवहन आयुक्त संगठन में तैनात अधिकारियों की कर्तव्य/शक्तियों का निर्धारण किया गया, जिसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य/शक्तियों के अतिरिक्त यथासमय होने वाले विभिन्न कार्यों के अनुसार स्वयं द्वारा मापमान निर्धारित किये जाते हैं।

बिन्दु– (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

परिवहन आयुक्त संगठन के समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के विनिहित नियम, विनियम, अनुदेश एवं निर्देशिका के आधार पर कार्य किये जाते हैं।

बिन्दु– (vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा नियंत्रण में हैं:–

क्रमांक	दस्तावेजों की श्रेणी	अभियुक्ति
1.	पत्रावलियां	–
2.	पंजिकाएं	–
3.	रिपोर्ट्स	–

बिन्दु– (vii) लोक प्राधिकरण में नीति निर्धारण अथवा उसके कार्यान्वयन हेतु जन प्रतिनिधियों से लिए जाने वाले परामर्श अथवा उनके द्वारा दिये जाने वाले अभ्यावेदन की व्यवस्था का विवरण:–

1. जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 सपठित नियमावली, 2015 में विहित विधि व्यवस्था का सम्यक अनुपालन उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में कुल 77 परिवहन कार्यालयों (लखनऊ तथा वाराणसी के विस्तार पटल कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए) के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) द्वारा बतौर जनपदीय जनसूचना अधिकारी के रूप में किया जा रहा है।
2. उत्तर प्रदेश राज्य में 19 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में तैनात सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) द्वारा बतौर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपने विधिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए समयबद्ध अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है।
3. मुख्यालय स्तर पर जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने विधिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए समयबद्ध आवेदनों एवं अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है।

बिन्दु– (viii) **बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।**

1. जनपद स्तर पर जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति, मण्डल स्तर पर मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।
2. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उच्चाधिकार समिति एवं कोष प्रबन्धन समिति गठित है।
3. Scheme for grant of Award to the Good Samaritan हेतु नेक आदमी को पुरस्कृत करने के प्रयोजन से राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

उपरोक्त समस्त समितियों की बैठक आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु– (ix) **लोक प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।**

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका पूर्व से ही परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु– (x) **लोक प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारितोषिक का विवरणः–**

परिवहन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारितोषिक सातवें वेतनमान के अनुसार देय है।

बिन्दु– (xi) **लोक प्राधिकरण व उसके अन्तर्गत स्थापित विभिन्न अभिकरणों का बजट विवरणः–**

परिवहन विभाग का आवंटित बजट तथा वितरण का विवरण निम्नानुसार हैः–

(धनराशि लाख रूपये में)

वित्तीय वर्ष 2021–22		
राजस्व लेखा	पूंजी लेखा	कुल लेखा
33983.80	7052.99	41036.79

बिन्दु– (xii) **सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।**

1. रोड सेफ्टी एडवोकेसी कार्यक्रम–Scheme of Financial Assistance for Administering Road Safety Advocacy and Awards for the Outstanding Work done in field of Road Safety- सड़क सुरक्षा हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जनमानस में

प्रचार–प्रसार द्वारा व्यवहार आधारित अभ्यास के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निरन्तर प्रयासरत सरकारी/गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के आधार पर वित्तीय अनुदान एवं पुरस्कार प्रदान करना। इस योजना का सम्पूर्ण ब्यौरा https://morth.nic.in/circular-road-safety पर उपलब्ध है। इस योजना के लाभग्रही समस्त शैक्षणिक संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं एवं न्यास व पंजीकृत सोसाइटी, जो दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हों, हैं।

2. नेक आदमी को पुरस्कृत करने हेतु योजना–Scheme for grant of Award to the Good Samaritan दिनांक 15.10.2021 से लागू हो गयी है। इस योजना का सम्पूर्ण ब्यौरा वित्तीय अनुदान सहित https://morth.nic.iin/sites/default.files/circulars_document/Scheme_for_grant_of_awards_to_Goods_Samaritan_0001.pdf पर उपलब्ध है।
3. उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 30 एवं 31 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवायानों से घटित दुर्घटनाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता।

वित्तीय वर्ष	वर्ष 2021–22 (17 जनवरी 2022 तक की स्थिति)
लाभान्वित मृतक आश्रित	121 (24 यात्री एवं 97 अन्य)
लाभान्वित अंगक्षति से घायल	—
आवंटित धनराशि (लाख रूपयों में)	रू0– 18,55,000/–

बिन्दु– (xiii) लोक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरणः–

उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन का स्वामी अनुज्ञापत्र या प्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

बिन्दु– (xiv) लोक प्राधिकरण में इलेक्ट्रानिक के रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण परिवहन विभाग की वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु– (xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉं जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

वर्तमान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था कार्यालय में संचालित नहीं है।

बिन्दु– (xvi) लोक प्राधिकरण में नामित जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियांः–

1. कार्यालय परिवहन आयुक्त(मुख्यालय) स्तर पर–

क्र0सं0	जनसूचना अधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यालय	कार्यालय पता
01	श्रीमती श्वेता वर्मा,	कार्यालय परिवहन	महात्मा गांधी मार्ग, टेहरी

	वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।	आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	कोठी, लखनऊ।

क्र0सं0	अपीलीय अधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यालय	कार्यालय पता
01	श्री आर0के0 विश्वकर्मा, उप परिवहन आयुक्त (विधि), उत्तर प्रदेश।	कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	महात्मा गांधी मार्ग, टेहरी कोठी, लखनऊ।

2. **<u>जनपद/परिक्षेत्रीय स्तर पर–</u>**

(i) जनपद स्तर पर सम्बन्धित जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) उस जनपद के जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) उस सम्भाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।

(ii) परिक्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) उस परिक्षेत्र के जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन), उत्तर प्रदेश, समस्त परिक्षेत्र के प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।

(नोटः– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) तथा समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) के नाम/पदनाम की सूचना परिवहन विभाग की वेबसाइटhttp://uptransport.upsdc.gov.inपर उपलब्ध है।

बिन्दु– (xvii) <u>अन्य विवरणः</u>– ————————"